सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 251 राँची, शुक्रवार, 22 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

14 मई, 2025

विषयः- राज्य संचालित "कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना" के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।

ज्ञापांक :- 05/म०स०/यो०-151/2022-1413--विभागीय संकल्प संख्या-1993 दिनांक-16.08.2019 द्वारा राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे व्यक्तियों यथा- वृद्धों, दिव्यांगों, भूमिहीनों बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये लोगों तथा भिक्षुकों को जाड़े में ठंड से बचाव के लिए मुफ्त कंबल वितरण हेतु "कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना" का क्रियान्वयन किया जाता है। उक्त संकल्प की कंडिका-5 एवं कंडिका-6 क्रमशः निम्नानुसार है-

"कम्बल का क्रय निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड अथवा उपायुक्त द्वारा Gem/e-Tender/NEML के माध्यम से निविदा/ Reverse Auction के द्वारा किया जाएगा।"

"विभाग द्वारा सभी उपायुक्त को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। क्रय किए गए कम्बल का भुगतान उपायुक्त द्वारा किया जाएगा।"

2. उक्त विभागीय संकल्प के कंडिका-5 एवं कंडिका-6 के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि कम्बल का क्रय निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड द्वारा किए जाने पर भी भुगतान उपायुक्त द्वारा किया जाएगा, जो युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि निविदा के एकरारनामा के अनुपालन में विसंगति उत्पन्न होगी। साथ ही साथ एकरारनामा के अनुसार किसी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड जवाबदेह होंगे। ऐसे में निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची एवं जिलों के बीच क्षेत्राधिकार में टकराव की स्थिति बन सकती है। साथ ही Gem के नियम एवं शर्तों के अनुपालन में भी समस्या आ सकती है।

3. अतः सम्यक विचारोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-1993 दिनांक 16.08.2019 की कंडिका-6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

"विभाग द्वारा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड अथवा सभी उपायुक्त को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार क्रय किए गए कम्बल का भुगतान निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड अथवा उपायुक्त द्वारा किया जाएगा ।"

4. आर्थिक सहायता राशि हेतु उपबंधित राशि मांग संख्या-60, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष 796/104/789-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-AU-कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना के उपयुक्त इकाईयों के अधीन विकलनीय होगा ।

5. विभागीय संकल्प संख्या-1993 दिनांक-16.08.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जायगा ।

6. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 08.05.2025 की बैठक के मद संख्या 30 में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 251 - 50